नम्बर व
अहकाम
हुक्म की ता
जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 51/2016

श्री तेजा पुत्र श्री अन्ना जी रावत जाति रावत निवासी ग्राम रतनगढ ग्राम पंचायत मोयणा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

––––––वादी

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

–––प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 27.9.2017

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि वाके ग्राम रतनगढ पटवार हल्का मोयणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खरवा तहसील मसूदा के खाता संख्या 9 खसरा संख्या 21, 73, 74, 80, 81, 219, 231, 257, 286, 326, 327, 365, 426 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 16–05–10 भूमियां वादी के पिता श्री अन्ना पुत्र राजू की खातेदारी की भूमियां थी जिनके मरणोपरान्त विरासत उनके दोनों पुत्र कालू व तेजा पुत्रगण अन्ना एवं उनकी पत्नी श्रीमती धापू के नाम होनी थी। तदुपरान्त धापू बेवा अन्ना का भी देहान्त हो जाने के पश्चात् स्व. अन्ना की सम्पूर्ण खातेदारी उनके दोनों पुत्र वादी तेजा एवं पुत्र कालू के नाम विरासत होनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से श्री अन्ना जी के दो पुत्र कालू एवं तेजा के स्थान पर कालू एवं पांचू अंकन कर दिया अर्थात तेजा के स्थान पर पांचू अंकन कर दिया गया जबकि श्री अन्ना जी के फौत होने के पश्चात् उनकी विरासत कालू व तेजा पिसरान अन्ना के नाम होनी चाहिये थी। वादी के पिता श्री अन्ना जी का सिजरा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में अंकित है। वाद पत्र की वर्णित आराजी पर आज दिनांक तक अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीदं है लेकिन उक्त त्रुटि सुधारना वादी के लिये अत्यंत आवश्यक है नही तो वादी को होने वाली क्षति अपूरणीय क्षति की परिभाषा में आते हुए उसका मूल्यांकन मुद्रा में कत्तई ही नहीं किया जा सकेगा। इसलिये उक्त वादपत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः निवेदन है कि वादी के पिता श्री अन्ना पुत्र राजू रावत के मरणोपरान्त उसके वारिसान के रूप में उनके दो पुत्र कालू व तेजा पिसरान अन्ना जी के नाम राजस्व रेकार्ड में नाम अंकन होना था। राजस्व कर्मचारियों/पटवारी महोदय की गलती से वादी का नाम तेजा की जगह पांचू नाम अंकन कर दिया गया अर्थात् कालू व पांचू पिसरान अन्ना अंकित किया गया है जो गलत है जबकि सही अंकन कालू व तेजा पिसरान अन्ना होना चाहिये जिसे दुरूस्त किया जाकर तेजा पुत्र अन्ना किया जाने के आदेश प्रदान करने के कथन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मसूदा ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किए कि ग्राम रतनगढ़ पटवार मण्डल मोयणा के खाता संख्या 9 में कित्ता 13 रकबा 16–05–10 भूमि कालू पांचू पि. अन्ना रावत सा. दे हके नाम दर्ज है तथा कालू वल्द अन्ना का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा किराप के नाम रहन दर्ज है। वादी द्वारा सरपंच का प्रमाण पत्र एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का बिल पेश किया है उसमें भी नाम तेजा पुत्र अन्ना दर्ज है। अतः पांचू के स्थन पर तेजा शुद्ध करने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि ग्राम रतनगढ़ पटवार क्षेत्र मोयणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 9 में अंकित खसरा संख्या 21, 73, 74, 80, 81, 219, 231, 257, 286, 326, 327, 365, 426 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 16–05–10 में कालू

पाचू पि. अन्ना कौम रावत सा. देह खातेदार। कालू वल्द अन्ना का हिस्सा राहिन बी.ओ.बी. शाखा किराप मूर्तहीन ना.सं. 187 अंकित है। जबकि ग्राम रतनगढ़ की ही जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 8 में अंकित खसरा संख्या 222 में कालू तेजा पि. अन्ना हि. 3/4 लाछी पत्नि अन्ना हि 1/4 कौम रावत सा. देह खातेदार। कालू वल्द अन्ना का हिस्सा राहिन बी.ओ.बी. की शाखा किराप मूर्तहीन ना.सं. 187 अंकित है तथा इसी जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 21.05.2015 में बेचान से लाछी पत्नि अन्ना के स्थान पर कालू तेजा पि. अन्ना कौम रावत के नाम की स्वीकृति दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी के खाता संख्या 8 से यह स्पष्ट है कि स्व. अन्ना के कालू व तेजा नाम के दो पुत्र है जबकि खाता संख्या 9 में तेजा के स्थान पर पांचू अंकित है। ग्राम पंचायत मोयणा के सरपंच द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 20.01.2016 में यह प्रमाणित किया गया है कि अन्ना पुत्र राजू रावत के वारिसान पुत्र कालू, तेजा तथा पत्नि धापू(फौत) है। इसी प्रकार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ के मीटर क्रमांक 8554233 के विद्युत बिल में तेजा पुत्र अन्ना अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार मसूदा के जवाब में दुरूस्ती की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी अपना नाम पांचू के स्थान पर तेजा दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने वादपत्र से संबोधित किया है जबकि यह नाम की दुरूस्ती का प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 का होने से प्रार्थना पत्र की श्रेणी में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रतनगढ़ पटवार क्षेत्र मोयणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 9 में अंकित खसरा संख्या 21, 73, 74, 80, 81, 219, 231, 257, 286, 326, 327, 365, 426 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 16–05–10 कालू पाचू पि. अन्ना कौम रावत सा. देह खातेदार। कालू वल्द अन्ना का हिस्सा राहिन बी.ओ.बी. शाखा किराप मूर्तहीन ना.सं. 187 अंकित है जिसमें पाचू के स्थान पर तेजा दर्ज किये जाने के पारित किये जाते हैं। यथानुसार तहसीलदार मसूदा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करते हुए पाचू के स्थान पर तेजा अंकित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 27.9.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अपर... मसूदा (अजमेर)

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 17:47:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: